

## संपादकीय

## निजी हित साधने का न बने हथियार

समाज के कमजोर और व्याय तक पहुंच से विद्युत तबकों के हितों की रक्षा के लिए उच्चतम व्यायालय द्वारा असी के दशक में शुरू की गयी जनहित याचिका, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से ज्यादा विर्ति है, प्रणाली आज जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा और इनके प्रति उदासीन कार्यपालिका और छाँ नौकरशाही को कटघरे में लाने के लिए एक कारगर हथियार है। लेकिन दुरुप्रयोग के चलते व्यायालय ने कई मामलों में इसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए खारिज भी कर दिया। फलत: उच्चतम व्यायालय ने ऐसी याचिकाओं पर कड़ा रुख अपनाया है और कहा है। अब अगर व्यायालय को पहली नजर में लगता है कि असुरक्षित जनहित याचिका पब्लिसिटी या प्राइवेट हेतु के लिए है तो वह उसे खारिज नहीं कर रहा बल्कि याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगा रहा है। कई बार याचिकाकर्ता की विषय के बहुत अधिक विवादपूर्ण होने पर अखबारों की खबरों के आधार पर ही आधी-आधी जनकारी के साथ जनहित याचिका दायर कर रहे हैं। कई मामलों में एक विवादित अधिकारों के लिए याचिकाकर्ताओं पर ऐसी याचिका दायर करने पर रोक भी लगाई गई है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर होने वाली जनहित याचिकाओं में कमी नहीं आई है।

इस समय उच्चतम व्यायालय में ही 2880 से ज्यादा ऐसी याचिकाएं लिखित हैं। इनमें से पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण संबंधी कुछ जनहित याचिकाएं तो 1984-85 से व्यायालय में लिखित हैं। इनमें लगातार फैसले और अंतिम आदेश आते रहते हैं। जुलाई के अंत तक पंजाब और हरियाणा उच्च व्यायालय में पीआईएर की श्रीमि में सभासे जाया 1312 मामले लिखित हैं। देश के सविधान या किसी कानून में जनहित याचिका परिभाषित नहीं है। यह व्यवस्था नागरिकों को सविधान में प्रदृष्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम व्यायालय की व्याख्या की देता है। इस व्याख्या ने मौलिक अधिकारों के दायर के अधिकारों के लिए अधिकारों के दायर का भी विस्तार किया है और जिताते के अधिकार, जैनका के अधिकार और स्वास्थ्य सुविधा के अधिकारों को इसी के दायर का हिस्सा बना रहा है। कोरोना वैदिक महामारी में कामगारों से लेकर पेशास जासूसी कांड और पर्यावरण से लेकर रेन बर्सों की स्थिति जैसे मामले जनहित याचिकाओं के कारण ही सुर्खियों में आये हैं। इन मामलों में व्यायिक हस्तक्षेप के कारण कार्यपालिका तथा नौकरशाही को इस और तपतपारा से कदम उठाने पड़े। जनहित याचिकाओं की शुरुआत 1980 के दशक में बिहार की जेलों में विवाराई कैदियों की अमानवीय स्थिति और भागलपुर जेल में कैदियों की अंख फ़ोड़ने की घटना ईश्वर अदालत के सज्जान में लाए जाने के साथ हुई थी। इनके अलावा पूर्व नौकरशाही और दैन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता भी जनहित याचिका दायर करती रहती हैं। इनमें से अलेक मामलों में उड़े सफलता मिली है। लोकपाल की विस्तृति, देश में पुलिस सुधार से लेकर लोकपाल कानून का सूजन और लोकपाल, लीवीसी तथा सीबीआई प्रशुर्य के पदों पर विस्तृत जैसे अलेक मुद्रों पर इस प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से बोफोर्ट तोप रोड़े, राफेल लड़ाकू विमानों की रवीरी, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, कोयला रसायन आवंटन, बंधुआ मजदूर, जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना, मानसिक रोगी अस्पतालों में रोगियों की दुर्दशा, कोरोना महामारी में अस्पतालों में जन गंवने वाले व्यक्ति यों के शरों के प्रति अनदबर मुद्दे शामिल हैं। लोकात्मक प्रक्रिया को बहुल, धनबल से मुक्त करने, अदालत से दोषी ठहराये जाने की तारीख से सांसदों-विधायकों की सदस्यता खरम होने और सांसदों-विधायकों के विवाल लिखित आपाराइक मुकदमों की तेजी से सुरुवात जैसी व्यवस्था भी जनहित याचिकाओं की देन हैं।

-अब्दु भट्टाचार्य

## करीना कपूर ने शुरू की नई पारी

हमारे समय की गेम-चैंजिंग महिलाओं, एकता कपूर और करीना कपूर खान के एक साथ आने का प्रतीक है, दोनों ने अपने स्वयं के मामले प्रशस्त किए हैं और अपने रूल तोड़े हुए स्ट्रिंगोंग्राम को चुनौती दी है।

दिलचस्प बात यह है कि ब्लॉकबस्टर 'वीरे दी वेडिंग' करीना कपूर खान की उनके बेटे तौमर के जन्म के बाद पहली फिल्म में एक निर्माता के रूप में काम करने के लिए बहुत सम्मानित और उत्साहित हूं, जिसे मेरा परिवार वर्षों से जानता है और पहली बार हसल द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

एक सच्ची जीवन घटना से



प्रेरित, कहानी युके में स्थापित है और जल्द ही शूटिंग शुरू की जाएगी।

पहली बार निर्माता बनने के लिए उत्साहित, करीना कपूर खान कहती है, 'एकता के साथ इस फिल्म में एक निर्माता के रूप में काम करने के लिए बहुत सम्मानित और उत्साहित हूं, जिसे मेरा परिवार वर्षों से जानता है और पहली बार हसल द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।'

पहली बार निर्माता बनने के लिए उत्साहित, करीना कपूर खान कहती है, 'एकता के साथ इस फिल्म में एक निर्माता के रूप में काम करने के लिए बहुत सम्मानित और उत्साहित हूं, जिसे मेरा परिवार वर्षों से जानता है और पहली बार हसल द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।'

यह सहयोग दो मजबूत

एक सच्ची जीवन घटना से

## द्राय करें ओट्स एंड मटर चीला



छलनी में डालकर पानी निशार कर अलग रख ले।

अब मिक्सर में ओट्स, ऊबली मटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, अजवायन, हींग और नमक डालकर स्प्रूट तैयार कर लें।

तैयार करें तैयार पैन पर हल्का सा तेल या देसी घी डालें।

अब उस पर एक टेबलस्पून मटर-

ओट्स बाला घोल फैलाएं।

मोटियम अंच पर दोनों साइड से

क्रिस्पी और सुनहरा होने तक सेंक लें।

हींग चटनी या टोमैटो सॉस के साथ सर्व करें।

## विधि:

ओट्स को कम से कम 3-4 घंटे के लिए पानी में भिंगोकर रखें।

मटर और ओट्स दोनों ही हेल्दी चीज़े हैं तो जरा सोचिया इनसे तैयार होने वाली डिश कितनी हेल्दी होगी। तो आज हम आपको इससे चीला बनाने का आइडिया शेयर करने वाले हैं।

सामग्री :

ओट्स- 1/2 कप, ऊबली हुड़ हरी मटर- 1/2 कप, अदरक, काढ़ा- 1 इंच, लहसुन की कलियां- 2-3, हरी मिर्च- 1-2, अजवायन- 1/2 टीस्पून, हींग- 1 चुटकी, नमक स्वादानुसार, देसी घी आवश्यकतानुसार

विधि :

ओट्स को कम से कम 3-4 घंटे के लिए पानी में भिंगोकर रखें।

## तीन दिन में सात डॉलर महंगा हुआ क्रूड, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं

नईदिल्ली । अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके लिए लुप्तप्रयोग के चलते व्यायालय ने कई मामलों में इसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए खारिज भी कर दिया। फलत: उच्चतम व्यायालय ने ऐसी याचिकाओं पर कड़ा रुख अपनाया है और याचिका को पहली नजर में लगता है कि असुरक्षित जनहित याचिका पब्लिसिटी या प्राइवेट हेतु के लिए है तो वह उसे खारिज नहीं कर रहा बल्कि याचिका कर्ताओं पर जुर्माना भी लगा रहा है। कई बार याचिका कार्यकारी की व्याख्या की जाए तो उसे खारिज ही नहीं कर रहा बल्कि याचिका कर्ताओं पर जुर्माना भी लगा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की व्याख्या की जाए तो आज भी लगता है कि असुरक्षित जनहित याचिका पब्लिसिटी या प्राइवेट हेतु के लिए है तो वह उसे खारिज नहीं कर रहा बल्कि याचिका कर्ताओं पर जुर्माना भी लगा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आई हैं। अब अगर अपनाया है और याचिका को पहली नजर में लगता है कि असुरक्षित जनहित याचिका पब्लिसिटी या प्राइवेट हेतु के लिए है तो वह उसे खारिज नहीं कर रहा बल्कि याचिका कर्ताओं पर जुर्माना भी लगा रहा है।

रुपये प्रति लीटर की दर पर और डीजल 88.92 रुपये प्रति लीटर के दर पर बिक रहा है।

बताया जा रहा है कि मैक्सिकों के लिहाज से गहरत की बात यह है कि यहां पेट्रोल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकारी ऑफियल कार्यालयों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ावा देते हुए इनके लिए बहुत अधिक विवादपूर्ण होने पर अखबारों की व्याख्या की जाए तो आज भी यहां पर जायें।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आई हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की क